

पत्रांक381.../03 पी0एम0जी0एस0वाई0

दिनांक ...11.../05/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत।

विषय:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0-31.000 से सिलाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.810 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग/पी0एम0जी0एस0वाई0 को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में उल्लेखित अनुपालन आख्या।

सन्दर्भ:- 1. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड(लो0नि0वि0) चम्पावत के पत्रांक सं0-396/03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनांक-04.05.2017.

2. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड(लो0नि0वि0) चम्पावत के पत्रांक सं0-808/03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनांक-03.09.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके अन्तर्गत उक्त मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों का खण्ड स्तर से अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या आपके कार्यालय को उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों (पत्र की छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से विधिवत् स्वीकृति की कार्यवाही हेतु पूर्व में प्रेषित की गयी थी, किन्तु उक्त प्रकरण की विधिवत् स्वीकृति हेतु की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित कोई भी सूचना इस कार्यालय को आतिथि तक प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण उक्त मोटर मार्ग हेतु विधिवत् स्वीकृति की कार्यवाही काफी समय से लम्बित है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि विधिवत् स्वीकृति की कार्यवाही हेतु अनुपालन आख्या सहित वांछित प्रपत्र एक बार पुनः इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं, जिनका अवलोकन कर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें एवं कृत कार्यवाही से इस खण्ड को भी अवगत कराने की कृपा करें।

संलग्न :- 1- एन0पी0वी0 भुगतान का पुष्टि प्रमाण पत्र एवं चालान की प्रति संलग्न।

2- उक्त मोटर मार्ग हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की छायाप्रति।

3- सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेशों की अनुपालन आख्या।

4- उक्त मोटर मार्ग के वर्तमान ऑनलाइन वनभूमि स्टेटस की प्रति।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,

सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) चम्पावत।

पत्रांक381.../03 पी0एम0जी0एस0वाई0

दिनांक ...11.../05/2020

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) चम्पावत।

**PMGSY****कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत****OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION.DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT****Phone – fax 05965-230148****E-Mail; eepmgsychampawat@gmail.com**

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग।

विषय:-

जनपद चम्पावत में टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग के कि०मी०-31.000 से सिलाड़ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.810 हेक्टे० वन का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

राज्य सरकार, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 का पत्रांक 1069/X-4-15/1 (347)/2016 दिनांक-05.12.2016 (प्रति संलग्न)

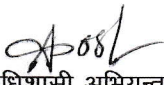
महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग के कि०मी०-31.000 से सिलाड़ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.810 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के लिये भारत सरकार के शासनां संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ०सी०, दिनांक-18.12.2015 में निहित प्राविधानों द्वारा उल्लेखित की गयी शर्तों पर की गयी कार्यवाही निम्न प्रव है -

क्र० सं०	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें	कृत कार्यवाही														
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संसोधित) जमा की जायेगी।	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत के पत्रांक सं० 2367 / 12-1, दिनांक 22.03. 2017 के अनुपालन में एन०पी०वी०, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की जमा की जाने वाली धनराशि दिनांक 27.03. 2017 को जमा की जा चुकी है जिसकी ऑनलाइन Transaction Acknowledgement Slip तथा Online Payment History Slip म्यूटेशन फॉइल के साथ संलग्न है। <table><tr><th rowspan="2">फेज</th><th rowspan="2">प्रस्ताव का नाम</th><th rowspan="2">जनपद</th><th colspan="2">देय धनराशि</th><th rowspan="2">योग</th></tr><tr><th>एन०पी०वी०</th><th>पथ वृक्षारोपण</th></tr><tr><td>XIII</td><td>टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग के कि०मी०-31.000 से सिलाड़ मोटर मार्ग</td><td>चम्पावत</td><td>532170.00</td><td>100000.00</td><td>632170.00</td></tr></table>	फेज	प्रस्ताव का नाम	जनपद	देय धनराशि		योग	एन०पी०वी०	पथ वृक्षारोपण	XIII	टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग के कि०मी०-31.000 से सिलाड़ मोटर मार्ग	चम्पावत	532170.00	100000.00	632170.00
फेज	प्रस्ताव का नाम	जनपद				देय धनराशि			योग							
			एन०पी०वी०	पथ वृक्षारोपण												
XIII	टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग के कि०मी०-31.000 से सिलाड़ मोटर मार्ग	चम्पावत	532170.00	100000.00	632170.00											
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन(सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं०-5-3 / 2017-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	बिन्दु सं० 01 के अनुसार वांछित धनराशि जमा की जा चुकी है।														
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी के आकलन के अनुसार निर्धारित धनराशि यू०आर०आर०डी०ए० द्वारा जमा की जा चुकी है।														

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी., दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0-25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल, सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	बिन्दु सं0 01 के अनुसार वांछित धनराशि जमा की जा चुकी है व वांछित प्रपत्र प्रेषित कर दिये जायेंगे।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की सुस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	उक्तानुसार शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	अनुपालन आख्या के साथ संलग्न है।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	उक्तानुसार शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	उक्तानुसार शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

भवदीय,


 अधिशासी अभियन्ता,
 सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) चम्पाव

31/01/2019
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
चम्पावत

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT
Phone - fax 05965-230148 E-Mail: ee@pmgsychampawat@gmail.com

पत्रांक/03 पी0एम0जी0एस0वाई0

दिनांक/09/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत।

विषय:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग के कि०मी०-3 से सिलाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.810 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक 1 विभाग/पी0एम0जी0एस0वाई0 को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में उल्लेखित अनुपालन आख्या।
सन्दर्भ:- कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड(लो०नि०वि०) चम्पावत के पत्रांक सं०-396/03 पी0एम0जी0एस0 दिनांक-04.05.2017.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके अन्तर्गत उक्त मोटर मार्ग की सैद्धा स्वीकृति की शर्तों का खण्ड स्तर से अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या आपके कार्यालय को उपरोक्त सन्दर्भित (पत्र की छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से विधिवत् स्वीकृति की कार्यवाही हेतु पूर्व में प्रेषित की गयी थी, किन्तु उक्त प्रकार विधिवत् स्वीकृति हेतु की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित कोई भी सूचना इस कार्यालय को आतिथि तक प्राप्त नहीं हुई है, कारण उक्त मोटर मार्ग हेतु विधिवत् स्वीकृति की कार्यवाही काफी समय से लम्बित है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि विधिवत् स्वीकृति की कार्यवाही हेतु अनुपालन आख्या सहित वाञ्छित प्रपत्र बार पुनः इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं, जिनका अवलोकन कर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा क कृत कार्यवाही से इस खण्ड को भी अवगत कराने की कृपा करें।

- संलग्न :- 1- एन०पी०वी० भुगतान का पुष्टि प्रमाण पत्र एवं चालान की प्रति संलग्न।
2- उक्त मोटर मार्ग हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की छाया
3- सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेशों की अनुपालन आख्या।
4- उक्त मोटर मार्ग के वर्तमान ऑनलाइन वनभूमि स्टेटस की प्रति।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, (लो०नि०वि०) चम्पावत।

पत्रांक १०४/03 पी0एम0जी0एस0वाई0

दिनांक 3/09/2019

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, (लो०नि०वि०) चम्पावत।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
चम्पावत।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT
Phone – fax 05965-230148 E-Mail; eepmgsychampawat@rediffmail.com

पत्रांक/

दिनांक/05/2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी।
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत।

विषय : — जनपद चम्पावत में टनकपुर – तवाघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 31.000 से सिलाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.810 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग/पी०एम०जी०एस०वाई० को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में उल्लेखित अनुपालन आख्या।
सन्दर्भ : — राज्य सरकार वन एवं पर्यावरण अनुभाग – 4 का पत्रांक – 1069/X – 4 – 16/1 (347)/2016 दिनांक 05.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें, विषयक मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों के निर्माण हेतु विभाग को हस्तान्तरण की कतिपय शर्तों/प्रतिबन्ध के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदत्त है, उल्लेखित शर्तों का खण्ड स्तर से संलग्नानुसार अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या प्रस्तुत है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से वांछित कार्यवाही कर अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, देहरादून को विधिवत स्वीकृति की कार्यवाही हेतु प्रकरण संदर्भित करने की कृपा करें तथा इस खण्ड को भी कृत कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करें।

- संलग्न : — 1. एन०पी०वी० भुगतान का पुष्टि प्रमाण पत्र।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेशों की अनुपालन आख्या।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, (लो०नि०वि०) चम्पावत
दिनांक 4/05/2017

पत्रांक 396

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य अभियन्ता, यू०आर०आर०डी०ए०, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, कू०क्षे० पी०एम०जी०एस०वाई०, अल्मोड़ा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, वृत्त, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, (लो०नि०वि०) चम्पावत

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 27-03-2017	
Agency Name.	PMGSY
Application No.	113157522015803
MoEF/SG File No.	1(347)/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISChampawat
Amount(in Rs)	632170/-

Amount in Words :Six Lakh Thirty-Two Thousand One Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	15089113157522015803 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 27-03-2017	
Agency Name.	PMGSY
Application No.	113157522015803
MoEF/SG File No.	1(347)/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address:	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVIS Champawat
Amount(in Rs)	632170/-

Amount in Words :Six Lakh Thirty-Two Thousand One Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	15089113157522015803 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through

Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

सहायक अभियन्ता
सिखण्ड, लोनिवि०, चम्पावत

अधीशासी अभियन्ता
सिखाई खण्ड (लोनिवि०)
चम्पावत

FP/UK/ROAD/15752/2015 Construction of Tanakpur- Tawaghat M/R to Silaad M/R under PMGSY Champawat	ROAD15752201580311315752201580305 Dec 2016	CA: PCA: Safety Zone: NPV: Other Charges1: Other Charges2: Other Charges3: Total:	0/-, 0/-, 0/-, 532170/-, 0/-, 0/-, 0/-, 0/-, 632170/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- 100 trees Plantation cost : 100000/-		Fund Demand Verified by Nodal Officer On 25 Mar 2017	Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS Challan Generated : (Challan) 27 Mar 2017 Transaction Date : 24 Apr 2017	Demand Letter Generated Challan
---	--	--	---	--	---	---	--	--


S. R. E.


सहायक अभियन्ता
सिंख०, लो०नि०वि०, चम्पावत


अधिक्षासी अभियन्ता
सिंयाई खण्ड (लो०नि०वि०)
चम्पावत

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बनकपुर (चम्पावत)
 अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
 उपखण्ड स्तरीय समिति, बनकपुर (चम्पावत)

उपखण्ड तनपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्र.ग्रा.सं.यौ.के. अकालि तनपुर
तानावा से जिला मुख्यालय (0.60) हे० आरक्षित वन भूमि, (0.840) हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि (0.000
 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल (0.840) हे० वन भूमि) का
सि.सं.ख. (लौहपट्टी) चम्पवत प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु
 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,
 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील तनपुर) की दिनांक
11.05.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जयेश दुग्गपाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| 1- | श्री <u>अरेश कुंजपाल</u> | उपजिलाधिकारी | <u>टनकपुर (चम्पावत)</u> | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>महिपाल सिंदुराई</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>चम्पावत</u> | सदस्य |
| 3- | श्री <u>दीनदयाल जी</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>चम्पावत</u> | सदस्य / सचिव |
| 4- | श्री <u>मती कमला देवी</u> | बी0डी0सी0 क्षेत्र | <u>झालाकडी</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

जनपद सम्पन्न में यह ग्राहक योजना के अन्तर्गत एकदम तत्काल से सिलाई
मीटर मार्ग का निर्माण हेतु परियोजना हेतु 0.820 हे०

वन
प्रान्त विकास विभाग कापवाडी संस्था श्री. अमरजी. लखनवाड़ी चम्पावत का प्रति

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer

संबंधित ^{Assistant Engineer} ~~उप~~ प्रभोगीय वनाधिकारी, हैमावत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम

2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्र.ग्रा.सं.गो. के अन्तर्गत चम्पावत जिला सिल्लाड परियोजना के निर्माण हेतु 0.810 हे० ...हे० वन भूमि 0.840 हे० प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- प्रणीति चम्पावत
जनपद चम्पावत

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- प्रणीति चम्पावत
जनपद चम्पावत

कमला देवी
सिल्लाड
सौ०/सि० सिल्लाड
वि०/जि० चम्पावत

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सिल्लाड
वि०/जनपद-चम्पावत

ओम प्रकाश
सरपंच
वन पंचायत वनजाल
सिल्लाड (चम्पावत)

पूजा
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सिल्लाड
विकास खण्ड चम्पावत
जनपद चम्पावत

विमल
वन क्षेत्र अधिकारी
वन रेंज (सूखीऔंग)
चम्पावत वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत
प्रभागीय वनाधिकारी

विनोद
(विनोद)
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
क्षेत्र- चम्पावत

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Irr. Divn. P.W.D. Champawat

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - सिल्लाडतहसील चम्पावत, जिला चम्पावत

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चम्पावत के अन्तर्गत हल्द्वारी में सिल्लाड परियोजना के निर्माण हेतु (2.4 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.810 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.110 हे०, वन पंचायत भूमि 0.00 हे०) अर्थात् कुल 0.920 हे० वन भूमि का सिल्लाड (चम्पावत) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिल्लाड द्वारा दिनांक 04/04/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिल्लाड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिल्लाड (चम्पावत) प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव

W.S.R.
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सिल्लाड
वि०ख०/जनपद-चम्पावत

सुरेश
सरपंच
वन पंचायत बभनजोत
तहसील (चम्पावत)

ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सिल्लाड
विकास खण्ड चम्पावत
जनपद चम्पावत

कमला देवी
सदस्य
वि०ख० सिल्लाड
वि०ख०/जि० चम्पावत

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Irr. Divn. P.W.D. Champawat

प्रपत्र-23.1

दिनांक 04/01/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिल्लाड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	ओम प्रकाश चौडाकोटी	ओम प्रकाश
2.	रमेश लाल	रमेश लाल
3.	केशव दत्त	केशव दत्त
4.	सुन्दर राय	सुन्दर राय
5.	प्रम सिंह	प्रम सिंह
6.	सजय कुमार	सजय कुमार
7.	अशोक कुमार	अशोक कुमार
8.	हरीश चन्द	हरीश चन्द
9.	रमेश चौडाकोटी	रमेश चौडाकोटी
10.	दत्त राय	दत्त राय
11.	केशव राय	केशव राय
12.	जगदीश राय	जगदीश राय
13.	पूरन राय	पूरन राय
14.	महेश राय	महेश राय

WSK8
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सिल्लाड
वि०ख०/जनपद-चम्पावत

ओम प्रकाश
सरपंच
ग्राम पंचायत बभनजोत
मल्लाड चम्पावत

ह०/- पूजा
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सिल्लाड
विकास खण्ड चम्पावत
जनपद चम्पावत

कमला देवी
सचिव
वि०ख० सिल्लाड
वि०ख०/जनपद चम्पावत

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Irr. Divn. P.W.D. Champawat

no. Proposal No.	Proposal Name	Category	User Agency Name	Area Applied (ha.)	Proposal physically received on	Proposal Status	View Report on Allocation of Fresh forest land (Form-A)
FP/UK/ROAD/45289/2020	Construction of Kimitoli to Kot Motor Road Under PMGSY Champawat	Road	PMGSY	1.995	24 Apr 2020	DFO	
FP/UK/ROAD/41672/2019	Construction of Taknagunth to Dandamalla Motor Road	Road	PMGSY	9.14	21 Aug 2019	Pending With UA	
FP/UK/ROAD/39133/2019	Construction of Chalthi to Naulapani M/R Under PMGSY Champawat	Road	PMGSY	4.9	26 Feb 2019	DFO	
FP/UK/ROAD/38411/2019	Construction of Laluwapani - Banlekh M/R to Jaigaon Jaitoli M/R under PMGSY Champawat	Road	PMGSY	5.313	03 Jun 2019	CF	
FP/UK/ROAD/38399/2019	Construction of Tanakpur - Aambag M/R to Chhinigoth M/R under PMGSY Champawat	Road	PMGSY	3.9	05 Aug 2019	DFO	
FP/UK/ROAD/38398/2019	Construction of Laluwapani - Banlekh M/R to Nadhan M/R under PMGSY Champawat	Road	PMGSY	2.272	03 Jun 2019	CF	
FP/UK/ROAD/25477/2017	Construction of Kimitoli to Kot m/r Under PMGSY, Champawat	Road	PMGSY	4.925	02 Apr 2017	Rejected	
FP/UK/ROAD/18336/2016	Construction of Narsingh-Dada to Bhagina- Bhandari M/R under PMGSY Champawat	Road	PMGSY	3.42	08 Mar 2016	Pending With UA	
FP/UK/ROAD/16380/2015	Construction of Baluta to Pasam M/R under PMGSY Champawat	Road	PMGSY	4.865	04 Nov 2015	IN-PRINCIPLE	
FP/UK/ROAD/16361/2015	Construction of Ladhauli-Dubchaura to Chaurakhyalli M/R under PMGSY Champawat	Road	PMGSY	0.98	03 Nov 2015	Pending With-SG for verifying Compliance of Conditions	
FP/UK/ROAD/15752/2015	Construction of Tanakpur-Tawaghat M/R to Silaad M/R under PMGSY Champawat	Road	PMGSY	0.81	30 Sep 2015	IN-PRINCIPLE	
FP/UK/ROAD/10874/2015	Construction of Dhaun Duri M/R to Bajajun M/R under PMGSY Champawat.	Road	PMGSY	6.16	12 Mar 2015	APPROVED	
FP/UK/ROAD/10485/2015	Construction of Dhaun to Badoli M/R under PMGSY Champawat.	Road	PMGSY	3.36	26 Feb 2015	IN-PRINCIPLE	
FP/UK/ROAD/10144/2015	Construction of Shimiuari to Aamni M/R under PMGSY Champawat.	Road	PMGSY	4.76	15 Feb 2015	IN-PRINCIPLE	
FP/UK/ROAD/10142/2015	Construction of Chamdeval to Nidil M/R under PMGSY Champawat.	Road	PMGSY	5.54	15 Feb 2015	IN-PRINCIPLE	


 अधिशासी अभियन्ता
 सिंचाई खण्ड (लोनवि०)
 चम्पावत


 सहायक अभियन्ता
 सिंच०, लोनवि०, चम्पावत


 AAE

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक-

/FP/UK/ROAD/15752/2015 :देहरादून:दिनांक: 28 सितम्बर, 2018

मैं,

सचिव,

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,

उत्तराखण्ड शासन।

विषय:-जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग के किमी 31 से सिलाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.81 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 1069/X-4-16/1(347)/2016 दिनांक 05-12-2016

महोदय,

कृपया शासन के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु देय धनराशि रु० 1,00,000.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से सम्बन्धित कोष में जमा की जा चुकी है।
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि रु० 5,32,170.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से सम्बन्धित कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन०पी०वी० की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-1)
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रु० 6,32,170.00 के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-2)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भूवैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-3)
6. शर्त संख्या-6 के अनुपालन में वनाधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (संलग्नक-4)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में शासन द्वारा विधिवत स्वीकृति/शासनादेश निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोपरि।

See & file

AA
E-15
18/11/18

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

संख्या 890 / FP/UK/ROAD/15752/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो०नि०वी०, चम्पावत।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक